डॉ. राममनोहर लोहिया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
2019

डॉ. राममनोहर लोहिया

डॉ. राममनोहर लोहिया भारत के स्वाधीनता संघर्ष और सामाजिक आंदोलन के सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे। वह स्वभाव और सिद्धांत से सच्चे समाजवादी थे और भारत की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक संरचना को ध्यान में रखकर उन्होंने भारत में समाजवादी आंदोलन को एक नई दिशा और आयाम दिया। वह क्रांतिचेता दार्शनिक, बहुविध लेखक व निष्काम समाजसेवी होने के साथ-साथ एक उत्कृष्ट सांसद भी थे।

राममनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अकबरपुर कस्बे में हुआ था। बचपन में लोहिया को अपने परिवार में ऐसा वातावरण मिला जो जातीय, सांप्रदायिक भावनाओं तथा अन्य पूर्वाग्रहों से अछूता था। उनमें देशभक्ति की प्रबल भावना उनके पिता की देन थी जो एक सक्रिय कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी थे। बचपन से ही लोहिया को जरूरतमंद तथा दुःखी लोगों के प्रति पूरी सहानुभूति थी।

राममनोहर लोहिया की प्रारंभिक शिक्षा अकबरपुर में टंडन पाठशाला और विश्वेश्वर नाथ हाई स्कूल में हुई। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा हेतु उन्होंने विद्यासागर कालेज, कलकत्ता* में दाखिला ले लिया। वर्ष 1932 में, उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में 'साल्ट एंड सिविल डिसॉबीडियन्स' विषय पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। बर्लिन में उन्होंने मार्क्स और हेगेल की कृतियों का अध्ययन किया। समाजवाद के प्रति निश्चित विचारधारा के साथ उन्होंने बर्लिन छोड़ा। वह गांधीजी के उच्च आदर्शों, मूल्यों और तरीकों से भी अत्यधिक प्रभावित थे।

डॉ. लोहिया छोटी उम्र में ही स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। पारिवारिक माहौल के कारण राजनीति में उनकी रुचि और बढ़ती गई। 10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने लोकमान्य तिलक की मृत्यु पर वर्ष 1920 में छात्र हड़ताल का आयोजन किया था। वीर स्वतंत्रता

*अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।

सेनानी के रूप में लोहिया ने गांधीजी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने वर्ष 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए कलकत्ता में आयोजित एक सभा की अध्यक्षता की। कलकत्ता में ही एक युवा सम्मेलन में वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्पर्क में आए और तत्पश्चात् दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ी।

1933 में डॉ. लोहिया ने बर्लिन से वापस आकर स्वयं को राजनीतिक गतिविधियों में पूर्णत: व्यस्त कर लिया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें इस पार्टी का एक आधार-स्तंभ माना गया। वर्ष 1936 में जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विदेश विभाग को आरंभ किया। उन्होंने डॉ. लोहिया को इस विभाग का सचिव बनाया। इस पद पर उन्होंने अगस्त 1938 तक विशिष्टता के साथ कार्य किया। भारत की विदेश नीति की नींव रखने में डॉ. लोहिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विश्व के अन्य भागों में स्वतंत्रता आंदोलनों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखा। उन्होंने एशियाई देशों, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका में प्रगतिशील संगठनों के साथ गहरे संबंध भी स्थापित किए।

डॉ. लोहिया ने 1942 में "भारत छोड़ो आंदोलन" में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के दौरान लगभग दो वर्ष तक भूमिगत रहकर उन्होंने अपने सहयोगियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपने इस समय का सदुपयोग पुस्तिकाएं, लघु पुस्तिकाएं और लेख लिखकर किया जो काफी प्रेरणादायक थे। अंतत:, 20 मई 1944 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 11 अप्रैल 1946 तक वह जेल में रहे। वस्तुत: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वह 25 बार गिरफ्तार हुए।

एक निष्ठावान समाजवादी, डॉ. लोहिया जनतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास रखते थे और सदैव जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संसदीय साधनों द्वारा शक्ति दिये जाने के पक्षधर थे। वह सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध अहिंसक सीधी कार्यवाही के भी समर्थक थे। उनके सृजनात्मक मन को नये विचार अच्छे लगते थे तथा वह सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं के प्रति अव्यावहारिक रवैये के एकदम विरुद्ध थे। डॉ. लोहिया सभी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले अनथक योद्धा थे तथा उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक समानता और बेहतर अवसर प्रदान करने की पुरजोर वकालत की ताकि वे सदियों पुराने कष्टों से छुटकारा पा सकें।

भारतीय राज्य व्यवस्था में डॉ. लोहिया का एक मुख्य योगदान गांधीवादी विचारों को समाजवादी विचारधारा में समाविष्ट करना था। विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था में दृढ़ विश्वास रखने वाले डॉ. लोहिया ने कुटीर उद्योगों की स्थापना तथा छोटी मशीनें लगाने की आवश्यकता पर बल दिया जिनमें कम से कम पूंजी निवेश हो तथा अधिक से अधिक जनशक्ति का उपयोग हो सके।

डॉ. लोहिया जीवनपर्यन्त आम जनता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों एवं गांवों में रहने वाले लोगों के दु:ख-दर्द से जुड़े रहे इसलिए वह गरीब किसानों, भूमिहीनों तथा खेतिहर मजदूरों की आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए। वर्ष 1947 से ही उन्होंने 'किसान मार्च' का आयोजन करना तथा उनके लिए संघर्ष करना आरंभ कर दिया था। उन्होंने न केवल हमारे सामाजिक संबंधों की आमूल पुनर्व्यवस्था करने की आवश्यकता की वकालत की बल्कि ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए वैचारिक आधार भी प्रदान किया।

डॉ. लोहिया वर्ष 1963 में तीसरी लोक सभा के लिए उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र से उप-चुनाव में निर्वाचित होकर संसद में पहुंचे थे। मार्च 1967 में वह उत्तर प्रदेश के कन्नौज संसदीय क्षेत्र से चौथी लोक सभा के लिए पुन: चुने गए। डॉ. लोहिया एक समर्पित सांसद थे और उन्होंने संसद की कार्यवाही में गहन रुचि ली। समसामयिक विषयों पर उनके धुआंधार भाषणों की गूंज से लोक सभा गुंजायमान होती थी। वह सभा में जनता की समस्याओं के बारे में भी प्रभावी ढंग से बोलते थे।

सामाजिक समानता के पक्के हिमायती के रूप में डॉ. लोहिया ने जाति प्रथा तथा जन्म के आधार पर ऊंच-नीच वाली व्यवस्था की निंदा की। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्र के पतन तथा इस पर बार-बार बाहरी आक्रमण और विदेशी शासन का शिकार होने का यही एक अकेला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। उन्होंने "जाति तोड़ो" आंदोलन भी चलाया। उनका विश्वास था कि परम्परागत विषम समाज में सभी को बराबर अवसर प्रदान करने मात्र से समता स्थापित नहीं की जा सकती। इस संदर्भ में उन्होंने पिछड़े वर्गों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों तथा पिछड़े अल्पसंख्यकों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से ऊपर उठाने की पुरज़ोर वकालत की।

डॉ. लोहिया का दृष्टिकोण विश्वव्यापी था। उनकी महानता एवं उनकी सादगी उनके दिल में दूसरे व्यक्तियों के लिए व्याप्त असीम प्यार से झलकती थी। उनमें सच्चरित्रता, प्रेम, विनम्रता, क्रोध और

वेदना जैसी मानवीय भावनाओं का आदर्श संगम था। वह जननायक थे और सदैव उन्हीं की भाषा में बोलते थे। वह एक जुझारू क्रांतिकारी और सुदृढ़ राजनैतिक तथा आर्थिक विचारों के प्रतिपादक थे। गांधीजी की तरह उन्होंने भी दमनकारी तथा क्रूर कानूनों और नियमों के प्रति अपना विरोध जताया था। वह पूरे मन से हिन्दू-मुस्लिम एकता के समर्थक थे और भारत के स्वतंत्र होने तथा देश का विभाजन होने के बाद उन्होंने देश में एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए निडरता से अनथक प्रयास किए।

बहुआयामी व्यक्तित्व वाले डॉ. लोहिया लेखनी के धनी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने देश की जनता को अपने लेखों के माध्यम से स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया और उनके विचारों ने जनमानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी कृतियों में से कुछ प्रमुख कृतियां हैं: 'मिस्ट्री ऑफ सर स्टेफर्ड क्रिप्स'; 'आस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी'; 'मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म'; 'दि कास्ट सिस्टम'; 'फॉरेन पॉलिसी'; 'दि इंडियन एग्रीकल्चर'; 'सोशलिज्म'; 'हिन्दुइज्म'; 'क्रांति के लिए संगठन' और 'समाजवादी एकता'। डॉ. लोहिया 'मैनकाइंड' और 'जन' के संपादक-मंडल के चेयरमैन भी थे।

डॉ. लोहिया का निधन 12 अक्तूबर 1967 को नई दिल्ली में 57 वर्ष की आयु में हुआ। दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देते हुए तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने डॉ. लोहिया को एक अग्रणी सांसद बताया और कहा कि ''उनके असामयिक निधन से देश ने एक ओजस्वी और कर्मठ व्यक्ति खो दिया है।'' उनके अनुसार, उनका सारा जीवन ''दलितों और शोषित लोगों के हितों के लिए एक संघर्ष'' था।

राज्य सभा के तत्कालीन सभापति (और तत्पश्चात् भारत के राष्ट्रपति), श्री वी.वी. गिरि ने उन्हें ''देश में समाजवादी आंदोलन का संस्थापक'' बताया और कहा: ''लोक सभा के सदस्य की हैसियत से डॉ. लोहिया ने एक जोशीला वक्ता और उत्कृष्ट संसदविद् होने के नाते चिरस्थायी कीर्ति अर्जित की, जो सरकार की नीतियों की पुरजोर आलोचना करते थे। उनकी मंशा और ईमानदारी पर कभी शंका नहीं हुई क्योंकि उनके मन में हमेशा लोगों की भलाई ही रहा करती थी।''

दिवंगत नेता को सभा में भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए और उनकी मृत्यु को असामयिक बताते हुए तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष, डॉ. एन. संजीव रेड्डी ने कहा था: ''उनके निधन से भारतीय राजनीति तथा सदन ने एक उत्कृष्ट नेता खो दिया है।''